



(पत्रांक-254/2022 दिनांक 12.09.2022)

दिनांक- 12.09.2022 को 12-September-2022जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

अवैध शराब बिक्री/परिवहन/निष्कर्षण के विरुद्ध कार्यवाही- (कुल-02)

थाना कसया-

थाना कसया पुलिस टीम द्वारा एक नफर अभियुक्त 1.गुड्डु पुत्र स्व0 जीता साकिन भैसहां सदर टोला थाना कसया जनपद कुशीनगर व एक अन्य अभियुक्ता को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 40 ली0 कच्ची शराब बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0-813/2022,814/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(04)

एटीएम के द्वारा धोखाधड़ी कर पासवर्ड देखकर एवं एटीएम कार्ड बदलकर आनलाइन पैसा निकालकर अवैध रूप से धन अर्जित करने वाला अन्तर्जनपदीय शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार, मोबाईल फोन, एटीएम कार्ड, फर्जी सिम कार्ड, आधार कार्ड व माल मुकदमाती 60,000/- रु0 नगद बरामद-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री कुन्दन सिंह के नेतृत्व में साइबर अपराध की हो रही घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 11/12.09.2022 को थाना को0 पडरौना व साईबर की संयुक्त टीम द्वारा एक्सिस बैंक एटीएम के सामने टैक्सी स्टैण्ड सुभाष चौक के पास से मु0अ0सं0 509,510,511,512/22 धारा 419,420,120बी भादवि व 66 C, 66D IT ACT थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर का सफल अनावरण करते हुए एक नफर शातिर साइबर अपराधी इरफान खान उर्फ कल्लू उर्फ बाडीगार्ड पुत्र मुन्ना खान निवासी चित्रकूट धाम करवी वार्ड नं0 2 पानी टंकी के नीचे पसौड़ा थाना करवी कोतवाली जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अपराध में प्रयुक्त 05 अदद मोबाईल फोन, 15 अदद एटीएम कार्ड भिन्न- भिन्न सर्विस प्रोवाइड कम्पिनियों, 26 अदद फर्जी सिम कार्ड, 26 अदद आधार कार्ड व माल मुकदमाती 60,000/- रु0 नगद क्रमशः 1.पीडिता श्रीमती जरीना पत्नी मुहम्मद जुनैद निवासी वीर अब्दुल हमीदनगर पडरौना कुशीनगर के साथ हुए धोखाधड़ी का 10,000 रु0 बरामद सम्बन्धित मु0अ0सं0 509/22 धारा 419,420,120बी भादवि व 66 सी,66 डी आईटी एक्ट थाना कोतवाली पडरौना, 2.पीडित रामभजन प्रसाद पुत्र मिश्री प्रसाद निवासी कठहा थाना धनहा पश्चिमी चम्पारण बिहार के साथ हुए धोखाधड़ी का 20,000 रु0 बरामद सम्बन्धित मु0अ0सं0 510/22 धारा

419,420,120बी भादवि व 66 सी,66 डी आईटी एक्ट थाना कोतवाली पडरौना कुशीनगर,
3.पीडित प्रदीप सिंह पुत्र शिवमंगल सिंह निवासी खड्डा खुर्द थाना कोतवाली पडरौना कुशीनगर
के साथ हुए धोखाधडी का 10,000 रु0 बरामद सम्बन्धित मु0अ0सं0 511/22 धारा
419,420,120बी भादवि व 66 सी, 66 डी आईटी एक्ट थाना कोतवाली पडरौना कुशीनगर,
4.पीडिता श्रीमती अमीना खातून पत्नी फिरोज अन्सारी निवासी कोठीलवा बबुइया हरपुर थाना
कोतवाली पडरौना कुशीनगर के साथ हुए धोखाधडी का 20,000 रु0 बरामद सम्बन्धित
मु0अ0सं0 512/22 धारा 419,420,120बी भादवि व 66सी ,66 डी आईटी एक्ट थाना
कोतवाली पडरौना कुशीनगर बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध का तरीका-

अभियुक्त द्वारा एटीएम मशीन में पैसा निकालने आये ग्राहकों को टारगेट करते है तथा उनका पासवर्ड बातों में उलझाकर देख लेते है तथा उसी कम्पनी का एटीएम धोखाधडी से बदल देते है तथा उसके मूल एटीएम से पासवर्ड की सहायता से मौका लगने पर उसी एटीएम या दूसरे पास वाले एटीएम से पैसा निकालकर अवैध धन अर्जित करते हैं तथा सिम कार्डों व आधार कार्डों से फर्जी भिन्न- भिन्न बैंको का एटीएम कार्ड जारी कराते है तथा अन्य बरामद मोबाईलों में सिम डालकर उसे लिंक कराते है तथा इन्ही सिमकार्डों व आधार कार्डों से आनलाईन बैंकिंग के फर्जी एकाउन्ट भी खुलवाते है। जिसमें जरूरत पड़ने पर एटीएम फ्राड का पैसा भी ट्रान्सफर अपने अन्य सदस्यों को करते है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.इरफान खान उर्फ कल्लू उर्फ बाडीगार्ड पुत्र मुन्ना खान निवासी चित्रकूट धाम करवी वार्ड नं0
2 पानी टंकी के नीचे पसौड़ा थाना करवी कोतवाली जनपद चित्रकूट

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 509/22 धारा 419,420,120 बी भादवि व 66 C, 66D IT ACT थाना कोतवाली पडरौना
2. मु0अ0सं0 510/22 धारा 419,420,120 बी भादवि व 66 C, 66D IT ACT थाना कोतवाली पडरौना
3. मु0अ0सं0 511/22 धारा 419,420,120 बी भादवि व 66 C, 66D IT ACT थाना कोतवाली पडरौना
4. मु0अ0सं0 512/22 धारा 419,420,120 बी भादवि व 66 C, 66D IT ACT थाना कोतवाली पडरौना
- 5.मु0अ0सं0 305/21धारा 406,411,420 भादवि व 41,102 द0प्र0सं0 थाना बिलसण्डा पीलीभीत
6. मु0अ0सं0 307/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिलसण्डा जनपद पीलीभीत
7. मु0अ0सं0 471/21 धारा 420 भादवि व 66 सी आईटी एक्ट थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत

बरामदगी का विवरण:-

- 1.05 अदद मोबाईल फोन भिन्न-भिन् कम्पनी के।
- 2.15 अदद एटीएम कार्ड भिन्न- भिन्न सर्विस प्रोवाइड कम्पिनियों।
- 3.26 अदद फर्जी सिम कार्ड भिन्न-भिन् कम्पनी के।
- 4.26 अदद आधार कार्ड
- 5.माल मुकदमाती 60,000/- रु0 नगद।



गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 श्री राजप्रकाश सिंह थाना को0 पडरौना कुशीनगर
2. निरीक्षक श्री मनोज कुमार पंत प्रभारी साइबर सेल जनपद कुशीनगर
3. व0उ0नि0 अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
4. हे0का0 सत्य नरायन राय थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
5. का0 नरेन्द्र यादव थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
6. का0 अंकुर सिंह थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
7. का0 गिरिश कुमार थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
8. का0 रणजीत यादव थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
9. का0 संदीप कुमार थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
10. का0 चन्द्रभान वर्मा साइबर सेल कुशीनगर
11. का0 विजय चौधरी साइबर सेल कुशीनगर
12. का0 अनिल यादव साइबर सेल जनपद कुशीनगर
13. का0 प्रशान्त कुमार मिश्रा साइबर सेल कुशीनगर

थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा 02 नफर वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल द्वारा वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.09.2022 को थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा मु0नं0 122/17 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)ध एसस/एसटी एक्ट, मु0न0 190/21 से संबंधित 02 नफर वारंटी अभियुक्तों 1. निजामुद्दीन पुत्र सहीदन साकिन पिपराखुर्द थाना नेबुआ नौरंगिया, 2. पुरूषोत्तम सिंह पुत्र हंसनाथ सिंह साकिन नौरंगिया बलुआड थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी-

1. निजामुद्दीन पुत्र सहीदन साकिन पिपराखुर्द थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर
2. पुरूषोत्तम सिंह पुत्र हंसनाथ सिंह साकिन नौरंगिया बलुआड थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 विनायक यादव थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर।
2. उ0नि0 अश्वनी कुमार थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर।
3. का0 चन्दन चौहान थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर।
4. का0 रोहित सिंह थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर।

थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा लूट के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.09.2022 को थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर हाटा बस स्टैण्ड के पास से थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 358/2020 धारा 392/411 भा.द.वि. से सम्बन्धित अभियुक्त चुलबुली उर्फ श्याम पुत्र यदुवंश प्रसाद साकिन बेरमहिया थाना महुआडीह जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.चुलबुली उर्फ श्याम पुत्र यदुवंश प्रसाद साकिन बेरमहिया थाना महुआडीह जनपद देवरिया

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री अनिल कुमार उपाध्याय थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर।

2.उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार गौतम थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर।

3.हे0का0 पवन सिंह थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर।

4.का0 कमलेश कुमार थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर।

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 37 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

1.मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-01, ई-चालान-20 वाहन।

2.107/116 में की गयी कार्यवाही-मु0-28, व्यक्ति-72

3.वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी- (कुल-04)

4.आबकारी अधि0 में की गयी कार्यवाही मु0-02, अभि0-02, बरामदगी-40 ली0 कच्ची शराब

5.जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-43)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर

